	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
..19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र 212 RTA पर बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई बहस समाप्त पत्रावली की गई वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अंतिम पत्रावली 21-11-19 को पेश हो।	
..1-11-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित वास्ते आदेश पत्रावली 27-11-19 को पेश हो।	
27-11-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित आदेश सुनाया नहीं जा सका वास्ते आदेश 28-11-19 आदेश हो।	
28-11-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित आदेश प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA सुनाया गया वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर सलग्न मुलवाद रहे।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 4/2015 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 12.02.2015 — जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. रामेश्वर दयाल पुत्र ईश्वर लाल जाति महाजन निवासी नोताडा हाल निवासी घुमेश्वर महादेव के पास काप्रेन तहसील काप्रेन जिला बून्दी (राज.)

– प्रार्थी –

बनाम

1. महावीर पुत्र बद्रीलाल जाति महाजन निवासी बस स्टैण्ड के पास काप्रेन तहसील काप्रेन जिला बून्दी (राज.)
2. कुम्भराज पुत्र ईश्वरलाल जाति महाजन निवासी बांकेबिहारी पेट्रेलपम्प के पास काप्रेन तहसील काप्रेन जिला बून्दी (राज.)
3. देवकीनन्दन पुत्र ईश्वरलाल जाति महाजन निवासी नन्दलाल जी की बावडी टीचर्स कोलोनी काप्रेन तहसील काप्रेन जिला बून्दी (राज.)
4. चन्दाबाई पुत्री पुत्री ईश्वरलाल जाति महाजन निवासी नन्दलाल जी की बावडी टीचर्स कोलोनी काप्रेन तहसील काप्रेन जिला बून्दी (राज.)
5. अन्जु कुमारी पुत्री ईश्वरलाल पत्नि राजेन्द्र पालीवाल जाति महाजन निवासी ब्यावरा तहसील ब्यावरा जिला राजगढ
6. मदनलाल पुत्र मांगीलाल जाति महाजन निवासी अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (राज.)
7. भौलाशंकर पुत्र मांगीलाल जाति महाजन निवासी मकान नं0 33 शान्ति सदन अशोक नगर धानमण्डी के पास बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
8. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
9. राजस्थान राज्य द्वारा उप पंजीयक लाखेरी उप तहसील लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– प्रतिपक्षीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित :– श्री बालकिशन रायका एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री विधानन्द गुप्ता एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 28.11.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 194 नई पुरानी 172 के खसरा संख्या 98 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा संख्या 515 रकबा 1.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.33 हैक्टर खाता संख्या 7 पुरानी 6 खसरा संख्या 99 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा संख्या 913 रकबा 2.41 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.44 हैक्टर खाता संख्या 183 नई पुरानी 160 खसरा संख्या 80 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

2.09 हैक्टर, खसरा संख्या 101 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा संख्या 107 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.17 हैक्टर व खाता संख्या 180 नई पुरानी 157 खसरा संख्या 79 रकबा 2.09 हैक्टर, खसरा संख्या 100 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा संख्या 106 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.18 हेक्टर वाके ग्राम नोताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 194 में महावीर पुत्र बद्रीलाल कौम महाजन खाता संख्या 7 में ईश्वरलाल पिता मांगीलाल कौम महाजन खाता संख्या 183 में मदनलाल पुत्र मांगीलाल कौम महाजन खाता संख्या 180 में भौलाशंकर पुत्र मांगीलाल कौम महाजन अंकित चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियों के पूर्व खसरा नं0 83 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 84 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 142 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 560 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 653 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 121 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 52 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम नोताडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी कें राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार टेकचन्द, बद्रीलाल, ईश्वरलाल, मदनलाल, भौलाशंकर पिसरान मांगीलाल कौम महाजन सादेह खातेदार चली आ रही थी। जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का 1/5, 1/5 हक अधिकार निहित था। सहखातेदार टेकचन्द पुत्र मांगीलाल निवासी नोताडा का हिस्सा 1/5 के रूप में निहित होने के कारण मृतक टेकचन्द का अपना हिस्सा 1/5 भाग की कृषि भूमि को विक्रय दान वसीयत अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करने का पूर्ण रूप से कानूनी अधिकार प्राप्त था। मृतक टेकचन्द ने विवादित आराजी में निहित हिस्सा 1/5 कृषि भूमि को अन्तिम वसीयत जीवित अवस्था के दौरान प्रार्थी रामेश्वर दयाल पुत्र ईश्वरलाल के पक्ष में दिनांक 30.11.1994 को वसीयतनामा निष्पादित करके प्रार्थी के पक्ष में कर दी गई। टेकचन्द की मृत्यु दिनांक 27.12.2003 को हो गई। बतौर वसीयत उत्तराधिकारी होने के कारण प्रार्थी मृतक टेकचन्द की विवादित आराजी हिस्सा 1/5 स्वतः ही बतौर सहखातेदार कृषक बन चुका है। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में मृतक टेकचन्द का हिस्सा 1/5 पर प्रार्थी का नाम बतौर सहखातेदार के रूप में दर्ज नही होने से प्रार्थी के हितो पर कोई प्रभाव नही पडता है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को कृषि विकास कार्य हेतु ऋण लेने लगान जमा कराने बाबत पक्षकारान में लडाई झगडे होते रहते है। दिनांक 15.01.2015 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हिस्से 1/5 की कृषि भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश की गई। बन्दोबस्त विभाग ने मृतक टेकचन्द के वारिसान को बगैर सुनवाई का अवसर दिये ही प्रतिपक्षीगण के बताये अनुसार राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज कर दिया गया। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि विवादित आराजी में मृतक टेकचन्द का हिस्सा 1/5 पर प्रार्थी को सहखातेदार कृषक घोषित करवाकर हिस्सा 1/5 का विधिवत बटवारा करवाये। एवं अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वह अपने नाम का लाभ लेकर वाद वर्णित कृषि भूमि को दौराने वाद खुर्द बुर्द नही करें। जबरन ताकत के बल पर विवादित आराजी पर प्रार्थी को बेदखल नही करें। और अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित नही है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि सहखातेदार मृतक टेकचन्द ने प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 30.11.1994 को उसके हिस्से की वसीयत कर दी गई थी। और टेकचन्द के हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। टेकचन्द की मृत्यु दिनांक 27.12.2003 को हुई है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन पूर्व न्यायिक दृष्टांत आर. आर.डी. 2016 पेज नं0 45, आर.आर.टी. 2016 (1) पेज नं0 374 प्रस्तुत किये गये। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि मृतक टेकचन्द की मृत्यु वर्ष 2003 में हुई और वसीयत 1994 में होना बताया है। जबकि टेकचन्द द्वारा उनके जीवनकाल में ही सन 1992 में ही उनके हिस्से की कृषि भूमि का हकत्याग चारो भाईयों में किया जाकर राजस्व रिकार्ड में चार भाईयों का नाम दर्ज हो गया। वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही वसीयत प्रभावशील अवस्था में आती है। सन 1994 में टेकचन्द वाद विषयक आराजी का सहखातेदार नही था और न ही कब्जा काश्त था। और अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 22 दिनांक 08.04.1993 के अवलोकन किये जाने पर टेकचन्द का हिस्सा महावीर ईश्वरलाल भौलाशंकर मदनलाल के नाम दर्ज कर दिया गया। जो दिनांक 26.08.1992 की अनुपालना में तस्दीक किया जाना स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा वाद विषयक आराजी पर कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जबकि धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थी का कब्जा होना पूर्णवर्ति शर्त है। अप्रार्थीगण वाद विषयक आराजी के रिकार्डेड खातेदार है जिनका कब्जा होने की कानूनन उपधारणा है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 30.11.1994 में वाद विषयक कृषि भूमि के कोई खसरा नं0 अंकित नही है न ही कोई चतुर्थ सीमा उल्लेखित की गई है। साथ ही इस वसीयतनामे के अवलोकन करने से न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट होती है कि वसीयतनामा 30.11.1994 को लिखा होना नोटेरी पब्लिक 28.12.2001 को तस्दीक करवाया जाना स्पष्ट है। इस कारण वसीयतनामा संदेहप्रद प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का केस पृथम दृष्टया प्रमाणित नही होने व क्षति का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी